(a) the number of Consumer Welfare Funds created in Rajasthan, Orissa, Bihar and Uttar Pradesh in particular and other States in general;

(b) the number of Non-Government organisations which have been given help from this fund, State-wise; and

(c) how far Government feels satisfied about the benefits accrued to consumers with their schemes/activities in this regard?

THE MINISTER OF CIVIL SUPPLIES, CONSUMER AFFAIRS AND PUBLIC DISTRIBUTION (SHRI BUTA SINGH): (a) Under the Central Excise and Salt Act, 1944 (One of 1944), a Consumer Welfare Fund has been set up by the Central Government which is being operated by the Ministry of Civil Supplies, Consumer Affairs and Public Distribution.

(b) Details at Statement (see below).

(c) As a result of various measures taken by the Government, such consumer organisations are becoming strong and consumer movement is slowly but firmly emerging on Indian scene.

Statement

State-wise number of non-government organisations which have been sanctioned assistance from the consumer welfare fund

S.No.	State/UTs	No. of NGO's
1.	Andhra Pradesh	10
2.	Assam	1
3.	Bihar	1
4.	Gujarat	6
5.	Himachal Pradesh	2
6.	Karnataka	4
7.	Kerala	5
8.	Madhya Pradesh	1
9.	Maharashtra	5
10.	Orissa	6
11.	Rajasthan	4
12.	Tamilnadu	19
13.	Uttar Pradesh	9
14.	West Bengal	2
15.	Chandigarh	1
16.	Delhi	8

गैर-सरकारी ऊर्जा उत्पादन एककों को कोयला खानों का आवंटन

1914. **श्रीमती सुषमा स्वराज:**
श्री राम जेठमलानी:

क्या कोयला मंत्री 31 जुलाई, 1995 को राज्य सभा में तारांकित प्रश्न संख्या 8 के दिये गये उत्तर को देखेंगे और यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) प्रत्येक किन-किन कम्पनियों/परियोजनाओं को कौन-कौन से कोयला क्षेत्र आवंटित किए गये हैं;

(ख) कोयला क्षेत्रों के आवंटन के संबंध में निर्धारित निबंधन और शर्तों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन स्वीकृत कोयला क्षेत्रों में कोयले की अनुमानित मात्रा का पता लगाया गया है; और

(घ) यदि हां, तो अब तक आवंटित कोयला क्षेत्रों में कोयले की कितनी मात्रा उपलब्ध होने की संभावना है?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजित कुमार पांजा): (क) 12 निजी पार्टियां, जिन्हें कि कोयले के ब्लॉक आवंटित किए गए हैं, उक्त के संबंध में ब्यौरा विवरण-I में दिया गया है। (नीचे देखिए)।

(ख) विद्युत उत्पादन के लिए कोयला खनन किए जाने के लिए निजी क्षेत्र के ब्लाकों को आवंटित किए जाने हेतु अपनाए गए मार्गदर्शी सिद्धान्तों का ब्यौरा विवरण-2 में दिया गया है। (नीचे देखिए)।

(ग) और (घ) ग्रहीत उपयोग के लिए खनन किए जाने हेतु अभी तक 16 कोयला क्षेत्रों में 47 कोयले के ब्लाकों को विनिर्दिष्ट किया गया है और उनमें कुल अनुमानित भू-गर्भीय भंडार लगभग 14,000 मिलियन टन होने का अनुमान लगाया गया है।

विद्युत का उत्पादन किए जाने हेतु विनिर्दिष्ट किए गए ग्रहीत कोयला ब्लाकों से कोयले के उत्पादन का कार्यक्रम खनन क्रियाकलापों को शुरू किए जाने से पूर्व विभिन्न प्रक्रियात्मक औपचारिकताओं के पूरा होने तक निर्भर करता है। अभी तक विनिर्दिष्ट किए गए ब्लाकों में उत्खनित किए जाने योग्य कोयले के उपलब्ध भंडार, संयंत्रों की 30 से 35 वर्ष तक की आवश्यकताओं को पूरा किए जाने के लिए पर्याप्त होंगे।

विवरण-I

उन निजी पार्टियों का ब्यौरा जिन्हें ग्रहीत कोयला खनन ब्लाक की पेशकश की गई है

क्र.सं.	नाम	अंतिम प्रयोग	ऐसे कोयला क्षेत्र जिनमें ब्लाक विनिर्दिष्ट/सांकेतिक किए गए हैं।
1.	मेसर्स आर.पी.जी. इंडस्ट्रीज/कलकत्ता इलैक्ट्रिक सप्लाई कारपोरेशन	विद्युत उत्पादन	रानीगंज, नार्थ करनपुरा, महान
2.	मेसर्स कलिंगा पावर कारपोरेशन	विद्युत उत्पादन	तलचर
3.	मेसर्स निप्पोन डेनरो इस्पात लि.	विद्युत उत्पादन	वर्धा/बन्डेर
4.	मेसर्स इंडियन अल्युमिनयम कंपनी लि.	विद्युत उत्पादन	ईब घाटी
5.	मेसर्स डेवलपमेंट कन्सलटेन्ट्स लि.	विद्युत उत्पादन	चुपेरभिटा
6.	मेसर्स एसोसिएटिड सीमेंट कंपनी लि.	विद्युत उत्पादन	वर्धा
7.	मेसर्स एच.ओ.के.आई. (होकी)	विद्युत उत्पादन	तलचर
8.	मेसर्स समलई पावर प्राइवेट लि.	विद्युत उत्पादन	ईब घाटी
9.	मेसर्स विडयोकॉन पावर लि.	विद्युत उत्पादन	तलचर
10.	मेसर्स जिन्दल स्ट्रिप्स लि.	स्पौंज आयरन	रायगढ़
11.	मेसर्स प्रकाश इंडस्ट्रीज लि.	स्पौंज आयरन	हसदेव-अरांड
12.	मेसर्स बिरला टैक्नीकल सर्विसेज लि.	पिग आयरन	नार्थ करनपुरा

विवरण II

विद्युत का उत्पादन किए जाने कोयला वाले कोयला खनन में निजी क्षेत्र के ब्लाकों का आवंटन किए जाने हेतु अंगीकृत किए गए मार्गदर्शी सिद्धांत नीचे दर्शाए गए हैं:-

(1) हरित स्थल (ग्रीनफील्ड) क्षेत्रों के ब्लाकों को तरजीह दिया जाना, जहां कि सड़क, रेल संयोजन अभी विकसित किए जाने हैं, उन्हें निजी क्षेत्र को दिया जाए। कोल इंडिया लि॰ द्वारा विकास के लिए पहले से ही विनिर्दिष्ट किए गए ब्लाकों और ऐसे क्षेत्रों को, जिनमें आधारभूत ढांचे तैयार किए जाने में, कोल इंडिया लि॰ ने नयी खानें खोले जाने के लिए पहले ही निवेश कर दिया है, उक्त को न सौंपा जाएं, लागतों की प्रतिपूर्ति को छोड़कर।

(2) निजी क्षेत्र को पेशकश किए गए विद्यमान खानों/परियोजनाओं के बीच उचित दूरी होनी चाहिए ताकि कार्यचालन संबंधी समस्याओं से बचा जा सके।

(3) कोल इंडिया लि. द्वारा विकसित किए जाने के लिए पहले से ही विनिर्दिष्ट किए गए ब्लाक, जहां कि पर्याप्त मात्रा में निधि उपलब्ध है अथवा प्राप्त होने की संभावना हैं, ऐसे ब्लाकों की निजी क्षेत्र को पेशकश न की जाए।

(4) निजी क्षेत्र को उन्हें पेशकश किए गए ब्लाकों के अन्वेषण की पूर्ण लागत वहन किए जाने के लिए कहा जाए।

(5) ब्लाकों को विनिर्दिष्ट किए जाने के लिए कोयले की लगभग 30 वर्ष की समयावधि तक विचार किया जाएगा।

इसके अतिरिक्त नीति में अन्य बातों के अलावा निम्नलिखित शामिल हैं:-

- खान एवं खनिज (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 1957 के अंतर्गत अपेक्षित खनन योजना का अनुमोदन।
- कोयला खान (संरक्षण एवं विकास) अधिनियम, 1974 के अंतर्गत कोयला नियंत्रक द्वारा वैज्ञानिक खनन का सुनिश्चिय किए जाने की दृष्टि से संरक्षण उपायों का निरीक्षण तथा उपयुक्त रूप में प्रवृत्तन।
- खान सुरक्षा महानिदेशालय द्वारा सुरक्षा विनियमन का प्रवृत्तन।